मैनुअल संख्या-04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक

सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसमें एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। इसके विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का अनुपालन प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु निर्धारित किये गये विनियमों के आधार पर किया जाता है। इसके लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा **Manual for Planning and Appraisal** तथा **वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति पर नियम पुस्तिका** प्रकाशित की गईं हैं, जिनमें परियोजना संचालन सम्बन्धी समस्त मानक/नियमों का विवरण दिया गया है।

उत्तराखण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे प्रमुख क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

- असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा एजुकेशनल गारन्टी केन्द्रों की स्थापना।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या तथा उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय/अनुभाग की सीमा का निर्धारण।
- बाल श्रमिकों, अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुर्ननिर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, चाहरदीवारी तथा विद्युतीकरण की व्यवस्था तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण।
- ग्राम शिक्षा समिति की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन तथा निर्माण कार्यों में सक्रिय भूमिका।
- ग्राम शिक्षा समितियों एवं स्कूल प्रबन्धन समितियों का गठन, ग्राम शिक्षा समिति एवं स्कूल प्रबन्धन समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण।
- शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रत्येक वर्ष सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष रु0 2000.00 का विद्यालय विकास अनुदान।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी हेतु रु0 500.00 का अनुदान।
- अक्षम एवं विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा।

- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।
- नवाचारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता।
- बालिका शिक्षा में नवाचारी कार्यक्रमों के अर्न्तगत समेकित बाल विकास योजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, कार्यानुभव एवं कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनु0 जाति, अ0ज0जा0 के बच्चों तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था।
- माइक्रोप्लानिंग तथा स्कूल मैपिंग अभ्यास के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा का नियोजन।
- पद विहीन विद्यालयों एवं नामांकन वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त अध्यापकों के पदों का सृजन।
- स्वयं सेवी संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग।
- प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में समुदाय की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना।
- विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (बी0आर0सी0) की स्थापना।
- संकुल स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना।

निर्माण कार्य(Civil Works)– इसके अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सम्बन्धी विभिन्न निर्माण कार्य किये जाते हैं,जिनमें नये विद्यालय भवनों का निर्माण, जीर्ण भवनों का पुर्ननिर्माण, चाहरदीवारी, पेयजल, शौचालय, अतिरिक्त कक्षाकक्ष निर्माण, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 भवनों का निर्माण, विद्युतीकरण तथा चाइल्ड फ्रेन्डली तथा खेल मैदान का निर्माण प्रमुख हैं।

निर्माण कार्यों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला परियोजना अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा वहन किया जाता है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक संदर्शिका का प्रकाशन किया गया है, जो समस्त जनपदों को भी उपलब्ध करवायी गई है। इसके अतिरिक्त जनपद उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग में निर्माण कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन एवं आवश्यक दिशानिर्देशों हेतु प्रबन्ध/पर्यवेक्षण का कार्य Megot Engineering Consultants Pvt.Ltd. 8th Cross Tapovan Enclave, Nalapani Road, Dehradun को सौंपा गया है।

वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के शुभारम्भ होने के पश्चात राज्य स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के माध्यम से भूकम्प रोधी एवं नवीन तकनीकी का प्रयोग कर भवन अनुकृति तैयार की जाय। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुकृति तैयार कर ग्राम शिक्षा समितियों एवं कार्यक्रम अभिकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ब्लॉक संसाधन केन्द्र के अतिरिक्त समस्त निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से संपादित किये जा रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों को तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु विकासखण्ड स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति

की गई हैं। ब्लॉक संसाधन केन्द्र का निर्माण उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

निर्माणाधीन कार्यों को सुनिश्चित किये जाने हेतु तकनीकी अधिकारियों द्वारा ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं के पद क्रमशः राज्य एवं जनपद स्तर पर सृजित किये गये हैं। इस कार्य हेतु इंजीनियरिंग विभागों के सक्षम व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है।

निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण प्रत्येक स्तर पर प्रतिमाह राज्य परियोजना निदेशक, सचिव शिक्षा, तथा मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से किया जाता है। वीडियो कान्फ्रेन्सिग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम की प्रगति उपलब्ध कराई जाती है। सतत् पर्यवेक्षण तथा तकनीकी सेल के गठन के पश्चात अपूर्ण कार्यों की संख्या न्यून हो गई है।

ई0जी0 एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों का संचालन– इनकी स्थापना ऐसे स्थलों पर की गई है, जहां पर विद्यालयी सुविधा आवश्यक है लेकिन यह स्थान विद्यालय स्थापना के मानकों को पूर्ण नहीं करता है। इन केन्द्रों में शिक्षा आचार्यों की नियुक्ति की गई है जो कि छात्रों की संख्या की वृद्धि के अनुपात में समायोजित की जाती है। राज्य में ई0जी0एस0 और ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना हेतु मानकों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में 10–15 विद्यार्थियों पर भी इनकी स्थापना की जा सकती है। कक्षा 1 एवं 2 हेतु ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 ऐसे स्थानों पर खोले जा रहे हैं, जहां बच्चों को प्राथमिक विद्यालय की सुविधा हेतु 1 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। प्राथमिक स्तर पर इनकी स्थापना के लिए ऐसे स्थल चयनित हैं, जहां 3 कि0मी0 की दूरी में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ई0जी0एस0 एवं ए0 आई0ई0 केन्द्र विद्यालय से बाहर तथा चलायमान जनसंख्या वाले केन्द्रों में खोले जाते हैं।

100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त किये जाने वाले उपायों में–

1– प्रत्यावर्तित होने वाले बच्चों हेतु मोबाइल स्कूल।

2– खेतों के समीप खेती करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा केन्द्र।

3– विभिन्न निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों के बच्चों के लिए।

4– विभिन्न कार्यों में संलग्न बच्चों के लिए रात्रि अथवा सायंकालीन स्कूल।

5– भीख मांगने वाले बच्चों के लिए शिक्षा घर।

6– शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए घर आधारित शिक्षा।

7– शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों हेतु लाने–ले जाने की व्यवस्था।

8– मुस्लिम बच्चों के लिए मकतब एवं मदरसों को सहायता।

9– 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों हेतु विद्यालय पूर्व शिक्षा गारंटी केन्द्र तथा ई0सी0सी0ई0 सुविधा।

10– नामांकित बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए वृहत स्तर पर उपचारात्मक कैम्प इत्यादि सुविधायें प्रदत्त की जा रही हैं।

ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से सहयोग दिया जा रहा है–

1– इन केन्द्रों से उत्तीर्ण बच्चों को नियमित प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करना

2– प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में मानकानुसार उच्चीकृत करना।

3– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भांति शिक्षक–छात्र अनुपात बनाये रखना।

4– शिक्षा आचार्यों को नियमित चयन के समय अधिमान दिया जाना।

5– शिक्षा मित्रों/शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करना।

6– पैरा टीचर्स की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन।

ई0सी0सी0ई0 एवं स्कूल पूर्व सुविधायें–डी0पी0ई0पी0 जनपदों में ई0सी0सी0ई0 कार्यक्रम का पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में विस्तार किया जाता है। प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा कार्यक्रम (ई0सी0सी0ई0) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रारम्भ किया गया एवं सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत इसको समेकित बाल विकास परियोजना के साथ समन्वय कर विस्तारित किया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।।। एवं सर्व शिक्षा अभियान दोनों में ई0सी0सी0ई0 खोलने का प्राविधान है। परन्तु जहां डी0पी0ई0पी0 में कई केन्द्रों को संचालित करने का प्राविधान है, वहीं एस0एस0ए0 में उक्त केन्द्रों को रु0 15 लाख की सीलिंग के अर्न्तगत खोले जाने का प्रस्ताव है। उत्तराखण्ड में ई0सी0सी0ई0 केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में संचालित हैं, जिस कारण प्राथमिक विद्यालय एक ही स्थान पर समस्त सुविधाओं के केन्द्र बन गये हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम/हस्तक्षेप–वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में अक्षम लोगों की जनसंख्या 1.5 प्रतिशत से बढकर 3 प्रतिशत हो गई है। जनगणना में वर्गीकृत चार मुख्य प्रकार की अक्षमताओं में से अस्थियों से जुड़ी अक्षमतायें उत्तराखण्ड में अधिक हैं। जनपद हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर में अक्षम व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है। मैदानी क्षेत्रों में विकलांगता का प्रमुख कारण पोलियो है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनायें : जैसें भूस्खलन, भूकम्प आदि हैं।

- रोजगार के कारण विस्थापित, सेक्स वर्कर आदि के बच्चों के विद्यालयों में नामांकन की सुविधा तथा बच्चे के निवास स्थान, अभिभावकों की पहचान में छूट।

- बच्चों को चिन्हित करने एवं उनके उपचार हेतु विभिन्न ऐजेन्सी व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से गतिविधियों का आयोजन।
- विद्यालयों को रैम्प व रैलिंग बनाकर अवरोधमुक्त करना।
- विद्यालयों से वंचित बच्चों का विवरण तैयार करना।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिये समस्त जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों में आई0ई0डी0 सेल का गठन।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विभिन्न हस्तक्षेपों का त्रैमासिक पत्रिका "सहयात्री" के माध्यम से वर्णन।

बालिका शिक्षा : ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यालय से बाहर रह गईं बालिकाओं एवं शालात्यागी बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों** की स्थापना की गई है। इस समय प्रदेश में इस प्रकार के कुल 13 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तथा 12 और विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

एस0सी0 एवं एस0टी0 बच्चों के लिये प्रयास : अपवंचित समूहों मे वे समूह/समुदाय सम्मिलित हैं, जिन्हें अपनी सामाजिक सभ्यता, ऐतिहासिक व आर्थिक कारणों से विकास का अवसर नहीं मिला।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत ऐसे अपवंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित, एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह को चिन्हित कर उनके उत्थान हेतु विभिन्न क्रियाकलापों जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, मध्याह्न भोजन योजना, अभिभावकों की पहचान में छूट, मनोरंजन, सृजनात्मक कला व उपचारात्मक अधिगम, मकतब व मदरसों को ए0आई0ई0 क्रार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए शिथिलता आदि का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा : शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास एवं बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 तथा ए0एस0 अभिकर्मियों का प्रशिक्षण आदि क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु परियोजना द्वारा डायट्स को सक्षम किया गया है, जिससे वे बी0आर0सी0सी0, एन0पी0आर0सी0सी0 एवं शिक्षक–शिक्षिकाओं को उपरोक्त सहायता प्रदान कर सकें।

क्षमता संर्वद्धन कार्यक्रम के अर्न्तगत डायट को किताबें, उपकरण, फर्नीचर, सूचना तकनीकी सेल का विकास एवं संरक्षण के लिए डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत धन उपलब्ध कराया गया है।

दूरस्थ शिक्षा के अर्न्तगत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम परियोजना की एक प्रमुख गतिविधि है जिसके द्वारा प्रशिक्षण को सहायता देना,सक्षम बनाना एवं दूरस्थ माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाना है। यह कार्यक्रम जुलाई 2002 में प्रारम्भ किया गया। दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों के लिये डी0ई0पी0–डी0पी0ई0पी0 (इग्नू) द्वारा सतत् सहायता मिल रही है।

डी0ई0पी0 (इग्नू) के सहयोग से राज्य परियोजना कार्यालय, डायट डीडीहाट (पिथौरागढ़), डायट रुड़की (हरिद्वार), डायट टिहरी एवं डायट बड़कोट (उत्तरकाशी) में 05 डी0आर0एस0 स्थापित किये गये हैं। डी0ई0पी0 (इग्नू) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समस्त सम्मेलनों में प्रतिभाग किया गया है।

बहुकोटिकरण एवं बहुस्तरीय शिक्षण माडल– एडसिल, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 03 डी0पी0ई0पी0 जनपदों– उत्तरकाशी, टिहरी, तथा पिथौरागढ़ में बहुकोटि तथा बहुकक्षा शिक्षण प्रारम्भ किया गया। यह माडल ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र पर आधारित था। यह माडल उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में काफी प्रासंगिक है, जहां पर पहाड़ी तथा मैदानी भागों में स्थित प्राथमिक, ई0जी0एस0, तथा ए0एस0 विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में बहुकोटि तथा बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति है।

बी0आर0जी0 एवं सी0आर0जी0: राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लॉक संसाधन समूहों का गठन किया गया है। जिसमें ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद, स्वयंसेवी संस्थायें तथा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हैं।

संकुल संसाधन केन्द्रः न्याय पंचायत के 10–15 विद्यालयों के लिये सी0आर0सी0 की स्थापना की गई है। वी0ई0सी0/सी0ई0सी0 के सहयोग से ये केन्द्र अकादमिक,पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, सामुदायिक सहभागिता व विद्यालय मानचित्रण कार्य में सी0आर0सी0 का प्रमुख योगदान है।

कम्प्यूटर एडेड लर्निंग :– प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम एक नवाचार है। इसका मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर का शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपयोग करना है।

यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इस कार्यक्रम के साफ्टवेयर (C.Ds) छात्र को क्रियाशील रखते हैं। यह C.Ds खेल–खेल में सीखो के आधार पर विकसित की गई हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया एक आनन्ददायक अनुभव बन जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वभौमिक गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा को खेल–खेल में अभिप्ररित करना, मनोरंजन, मूल्यांकन एवं सभी को समान ज्ञान की दिशा में प्रेरित करना तथा साथ ही कम्प्यूटर तकनीकी को अधिगम में उपयोगी बनाना और कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा एवं कम्प्यूटर के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करना है।

अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विषयों पर C.Ds निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। यह कार्यक्रम उत्तरराखण्ड के 551 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित है तथा 6 डी0पी0ई0पी0 जनपदों के 421 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित है एवं 950 हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेजों में आगामी वर्षों में प्रस्तावित है।

रूम टु रीड– यह कार्यक्रम रूम टु रीड संस्था के सहयोग से संचालित है।इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की पठन क्षमता का विकास करना है। यह कार्यक्रम वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों की पठन क्षमता का विकास करना, रोचक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, पुस्तकालय प्रबन्धन एवं विद्यार्थियों को कार्यक्रमों के अन्तर्गत कहानी लेखन, पेपर क्राफ्ट वर्क, कविता लेखन जैसी गतिविधियां सम्मिलित हैं।

रूम टु रीड संस्था द्वारा प्रत्येक तीन से चार विद्यालयों पर एक शिक्षा प्रेरक नियुक्त किया गया है जो कि विद्यालय में रीडिंग टीचर का कार्य करता है तथा विद्यालय के समय विभाजन चक्र में इस कार्य हेतु आवंटित पटल

में कार्य करता है। जनपद स्तर पर रूम टु रीड द्वारा एक समन्वयक नियुक्त किया गया है जो सभी गतिविधियों के अवलोकन के लिए उत्तरदायी है।

परीक्षण आधार पर यह कार्यक्रम जनपद हरिद्वार के रुड़की व बहादराबाद के क्रमशः 25 विद्यालयों में संचालित है तथा जनपद टिहरी एवं बागेश्वर में प्रत्येक के 100 विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है।

रेडियो द्वारा अंग्रेजी शिक्षण अधिगम– उत्तरांचल राज्य में कक्षा 1 से अंग्रेजी अध्ययन प्रारम्भ किया गया है। अंग्रेजी अध्ययन को सरल एवं रोचक बनाने हेतु श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम व प्लान इन्टरनेशनल के सहयोग से कक्षा 4 हेतु अंग्रेजी पाठों का प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम परीक्षण आधार पर चमोली व उत्तरकाशी जनपदों में संचालित है। कार्यक्रम 15 सितम्बर 2004 से प्रारम्भ किया गया है।

श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा इन जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम का विस्तार हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग, व चम्पावत जनपदों में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दोपहर 12:10 पर आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा प्रसारित किया जाता है तथा सायं 7:30 बजे इसका पुर्नप्रसारण किया जाता है।

लर्निंग गारंटी कार्यक्रम – सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों में से लर्निंग गारंटी कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम बच्चों की दक्षता के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है तथा विद्यालयों को एक मैत्रीपूर्ण परीक्षण के द्वारा शिक्षा की वास्तविक स्थिति से परिचित कराता है।

यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार तथा अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन का संयुक्त तत्वावधान है। इस कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की दक्षताओं का मूल्यांकन उनके स्तरानुसार करते हुए त्रुटियों का विश्लेषण एवं उनका समाधान करना है। प्रारम्भिक रूप से इस कार्यक्रम को उत्तरकाशी एवं उधम सिंह नगर जिलों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम वर्ष में दक्षता आधारित मूल्यांकन मे उक्त जनपदों के 422 विद्यालयों में कार्यक्रम सम्पन्न किया गया तथा अब इसे चार अन्य जनपदों अल्मोड़ा, चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा देहरादून में विस्तारित किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना– भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार की सामूहिक सहायता से राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केन्द्रो तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत पका–पकाया भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यद्यपि प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 से ही लागू है, किन्तु बच्चों को पूर्व में सूखा खाद्यान्न ही उपलब्ध कराया जाता था जिसे बच्चे प्राप्त कर अपने घरों को ले जाते थे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णय के क्रम में सम्पूर्ण प्रदेश में पकाया हुआ भोजन की योजना तीन चरणों में प्रारम्भ की गई। प्रथम चरण में वर्ष 2001–02 में जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में योजना प्रारम्भ हुई। तत्पश्चात वर्ष 2002–03 में प्रत्येक जनपद के दो–दो विकास खण्डों (कुल 26 विकासखण्ड) में योजना शुरू हुई। तृतीय चरण में वर्ष 2003–04 से सभी राजकीय विद्यालयों तथा वर्ष 2004–05 से शिक्षा गारन्टी केन्द्रों व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में भी पकाया हुआ भोजन योजना प्रारम्भ की गई।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन 2004 के अनुसार प्रति बच्चा प्रतिदिन 300 कैलोरी तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिए जाने के निर्देश के क्रम में उत्तराखण्ड में भी प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को उक्त मानकानुसार भोजन दिया जा रहा था। किन्तु भारत सरकार के पत्रांक DO.No.(9)/2006/Desk(MDM) दिनांक 06 जुलाई, 2006 के अनुसार अब बच्चों को प्रतिदिन 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त खाद्यान्न दिया जाना है।

उत्तराखण्ड में प्रति बच्चा प्रतिदिन 100 ग्राम चावल भारत सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जाता है तथा दाल, सब्जी, मसाले, ईंधन व अतिरिक्त पोषण हेतु प्रतिदिन प्रतिबच्चा 2 रु0 कुकिंग मूल्य भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालय की प्रबन्ध समितियों को अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय दाल, सब्जियों, दूध एवं फलों का भी इस योजना में प्रयोग कर सकते हैं।

शिक्षा मेला– वर्ष 2006 से शिक्षा मेले का आयोजन निम्न उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ किया गया है:–

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों का अन्य विकसित शहरी क्षेत्रों के बच्चों के साथ संवाद।
- एक जनपद/क्षेत्र के बच्चों का दूसरे जनपद/क्षेत्र के बच्चों से संवाद स्थापित कर उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित होना।
- अभावग्रस्त प्रतिभावान बच्चों को अपनी प्रतिभा को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के अवसर प्रदान करना।
- अन्य प्रदेशों के प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना।
- शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सहयोगी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमो का प्रदर्शन व पश्चपोषण।
- राज्य द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से आम जनसमुदाय को जागृत करना।
- पर्वतीय क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के छात्र–छात्राओं का शहरी क्षेत्रों में एक्सपोजर विजिट।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए कार्यरत अभिकर्मियों को प्रोत्साहित करना आदि।

मेले में समस्त जनपदों के लगभग 450 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मेले में प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापो जैसे टी0एल0एम0 प्रदर्शनी, मनोरंजक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का प्रदर्शन किया गया, जो कि बच्चों के लिए ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के मानक निम्नवत हैं:–

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन हस्तक्षेप के लिए मानदण्ड

हस्तक्षेप	मानदण्ड
1. अध्यापक की नियुक्ति	➢ प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक। ➢ एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापक। ➢ अपर प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक।
2. स्कूल/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा सुविधा	➢ प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के भीतर। ➢ असेवित बस्तियों में राज्य मानदण्डों के अनुसार नए स्कूल खोलने अथवा ईजीएस जैसे स्कूल खोलने के लिए प्रावधान।
3. अपर प्राथमिक स्कूल/शाखा	➢ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या पर आधारित आवश्यकता के अनुसार किन्तु अधिकतम सीमा प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक अपर प्राथमिक स्कूल/शाखा की होगी।
4. क्लासरूम	➢ प्रत्येक अध्यापक अथवा प्रत्येक ग्रेड/कक्षा के लिए प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर पर इनमें से जो भी कम हो, इस प्रावधान के साथ एक कमरा और कम से कम दो अध्यापकों वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बरामदे सहित दो क्लासरूम होंगे। ➢ अपर प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में मुख्याध्यापक के लिए एक कमरा।
5. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	➢ प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बच्चे पर खर्च की अधिकतम सीमा 150/–रू0 होगी। ➢ मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वित्तपोषण जो सम्प्रति राज्य योजनाओं में से किया जा रहा है, राज्यों द्वारा जारी रखा जाएगा। ➢ यदि किसी मामले में कोई राज्य प्रारम्भिक कक्षाओं के बच्चों को प्रदान की जा रही पाठ्यपुस्तकों की लागत आंशिक रूप से वहन कर रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता, पुस्तकों की लागत के उस अंश तक सीमित रहेगी जो बच्चों द्वारा वहन किया जा रहा है।
6. निर्माण कार्य	➢ सिविल निर्माण कार्यों के लिए कार्यक्रम निधियां, 2010 तक की अवधि के लिए तैयार की गई संदर्श योजना के आधार पर पीएबी द्वारा अनुमोदित समग्र परियोजना लागत की 33 प्रतिशत की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। ➢ 33 प्रतिशत की निर्धारित अधिकतम सीमा में भवनों के रखरखाव और उनकी मरम्मत का खर्च शामिल नहीं होगा।

	➢ तथापि किसी वर्ष विशेष की वार्षिक योजना में सिविल निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रावधान को, उस वर्ष के कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को प्रदान की गई प्राथमिकता के अनुसार वार्षिक व्यय के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। किन्तु ऐसी व्यवस्था परियोजना की 33 प्रतिशत समग्र ऊपरी सीमा के भीतर की जायेगी।
	➢ स्कूली सुविधाओं में सुधार, बीआरसी/सीआरसी के निर्माण के लिए। ➢ सीआरसी का उपयोग एक अतिरिक्त कमरे के रूप में भी किया जाना चाहिए। ➢ कार्यालय भवनों के निर्माण पर कोई राशि खर्च नहीं की जायेगी। ➢ आधारिक तंत्र सम्बन्धी योजनाएं जिलों द्वारा तैयार की जाएंगी।
7. स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत	➢ केवल स्कूल प्रबन्ध समितियों/वीईसी के माध्यम से। ➢ स्कूल समिति द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष 5000/–रू0 तक। ➢ सामुदायिक योगदान अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। ➢ सिविल निर्माण कार्यों के लिए 33 प्रतिशत की सीमा का आकलन करते समय भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत सम्बन्धी खर्च शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ➢ अनुदान केवल उन्हीं स्कूलों के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास स्वयं अपने भवन हैं।
8. ईजीएस को एक नियमित स्कूल के रूप में स्तरोन्नत करना अथवा राज्य मानदण्ड के अनुसार एक नया प्राथमिक स्कूल खोलना	➢ प्रत्येक स्कूल के सम्बन्ध में टीएलई के लिए 10,000/–रू0 का प्रावधान। ➢ टीएलई स्थानीय संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार। ➢ टीएलई के चयन और क्रय करने में अध्यापकों और अभिभावकों का सहयोजन। ➢ अधिप्राप्ति के सर्वोतम तरीके के बारे में निर्णय लेने के लिए वीईसी/स्कूल ग्राम स्तरीय उपयुक्त निकाय। ➢ ईजीएस केन्द्र को स्तरोन्नत करने पर विचार करने के लिए यह जरूरी कि उस ईजीएस केन्द्र ने दो वर्षों तक सफलतापूर्वक काम किया हो। ➢ अध्यापक और क्लासरूमों के लिए प्रावधान।
9. शिक्षण अधिगम सामग्री	➢ जिन स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है, उनके मामले में प्रत्येक स्कूल के लिए 50,000 रू0 के दर से।

	➢ अध्यापकों/स्कूल समिति द्वारा यथानिर्धारित स्थानीय विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार। ➢ अधिप्राप्ति की सर्वोत्तम विधि के बारे में अध्यापकों के साथ परामर्श से निर्णय लेने का दायित्व स्कूल समिति पर। ➢ यदि पैमाने की दृष्टि से लाभकारी हो तो स्कूल समिति जिला स्तरीय अधिप्राप्ति की सिफारिश कर सकती है।
10. विद्यालय अनुदान	➢ बेकार पड़े स्कूल उपस्करों के प्रतिस्थापन के लिए प्रत्येक प्राथमिक/अपर प्राथमिक स्कूल को 2000/–रू0 प्रतिवर्ष। ➢ उपयोग में पारदर्शिता। ➢ केवल वी0ई0सी0(ग्राम शिक्षा समिति)/एस0एम0सी0(विद्यालय प्रबन्धन समिति) द्वारा खर्च किया जाए।
11. अध्यापक अनुदान	➢ प्राथमिक और अपर प्राथमिक प्रति अध्यापक स्कूल में 5000/– रू0 प्रतिवर्ष। ➢ उपयोग में पारदर्शिता।
12. अध्यापक प्रशिक्षण	➢ प्रतिवर्ष सभी अध्यापकों के लिए 20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा नव–प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 70/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिवसीय दिशा–अनुकूलन की व्यवस्था। ➢ इकाई लागत निर्देशात्मक है, गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यून होगी। ➢ समूची प्रशिक्षण लागत शामिल है। ➢ मूल्यांकन के दौरान प्रभावी प्रशिक्षण की क्षमताओं के मूल्यांकन से विस्तार की सीमा तय होगी। ➢ मौजूदा अध्यापक शिक्षा योजना के अधीन एस0सी0ई0आर0टी0/ डी0आई0ई0टी0 के लिए सहायता।
13. राज्य शैक्षिक प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईएमएटी)	➢ 3 करोड़ रूपये तक की एकमुश्त सहायता। ➢ इसे कायम रखने के लिए राज्यों को सहमत होना होगा। ➢ संकाय के लिए चयन प्रक्रिया कठोर होगी।
14. सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण	➢ एक गाँव में एक वर्ष में अधिक से अधिक 8 व्यक्तियों, अनुमानतः महिलाओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण। ➢ प्रति व्यक्ति 30/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से।

15. विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान	➢ प्रतिवर्ष विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार विकलांग बच्चों के समेकन के लिए प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में रू0 1200/– तक। ➢ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए रू0 1200/– प्रति बच्चे के मानदण्ड के भीतर जिला योजना तैयार की जाएगी। ➢ संसाधन संस्थानों का सहयोजन प्रोत्साहित किया जाए।
16. अनुसंधान, मूल्यांकन पर्यवेक्षण और अनुश्रवण	➢ प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1500/– रू0 तक। ➢ अनुसंधान और संसाधन संस्थानों के साथ भागीदारी राज्य विशिष्ट बल सहित संसाधन दलों का एकीकरण। ➢ संसाधन/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से तथा एक प्रभावी ईएमआईएस के द्वारा मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के निमित क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता। ➢ परिवार विषयक आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए नियमित स्कूल मानचित्रण/सूक्ष्म योजना का प्रावधान। ➢ संसाधन व्यक्तियों का समूह गठित करके, अनुश्रवण, समुदाय–आधारित आंकड़ों, अनुसंधान अध्ययन लागत आकलन और मूल्यांकन उपबन्ध तथा उनके क्षेत्र क्रियाकलाप, संसाधन व्यक्तियों द्वारा क्लासरूम प्रेक्षण के लिए यात्रा अनुदान और मानदेय। ➢ प्रति स्कूल समग्र आबंटन में से निधियां राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उपजिला, स्कूल स्तर पर खर्च की जाएं। ➢ 100/– रू0 प्रति स्कूल प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर खर्च किया जाए। ➢ राज्य/जिला/बी0आर0सी0/सी0आर0सी0/स्कूल स्तर पर खर्च का निर्णय राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा लिया जाए, इसमें मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, एम0आई0एस0, क्लासरूप प्रेक्षण आदि सम्बन्धी खर्च शामिल होगा। अध्यापक शिक्षा योजना के अधीन प्रावधान के अलावा एससीईआरटी को सहायता भी प्रदान की जाए। ➢ राज्य विशिष्ट दायित्वों का वहन करने के इच्छुक संसाधन संस्थानों का सहयोजन।
17. प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय	➢ जिला योजना के बजट के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ➢ कार्यालय व्यय, मौजूदा जनशक्ति पीओएल आदि के निर्धारण के बाद विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का खर्च शामिल होगा। ➢ किसी विशिष्ट जिले में उपलब्ध क्षमता के आधार पर एमआईएस, सामुदायिक आयोजन प्रक्रियाओं, सिविल निर्माण कार्यों, लैंगिक आदि में विशेषज्ञों को प्राथमिकता। ➢ राज्य/जिला/ब्लॉक/संकुल स्तरों पर प्रभावी दल विकसित करने के लिए

	प्रबन्ध खर्च का प्रयोग किया जाए। ➢ बीआरसी/सीआरसी के लिए कार्मिकों की पहचान का काम पूर्व–परियोजना चरण में ही एक प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि गहन प्रक्रिया आधारित योजना के लिए एक दल उपलब्ध रहे।
18. बालिका शिक्षा प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए नवाचारी क्रियाकलाप, विशेष रूप से अपर प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए हस्तक्षेपकारी उपाय	➢ प्रत्येक नवाचारी परियोजना के लिए 15 लाख रूपये तक तथा सर्व शिक्षा अभियान के मामले में प्रत्येक जिले के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रूपये तक। ➢ ईसीसीई और बालिका शिक्षा हस्तक्षेपकारी उपायों के लिए इकाई लागतें वही होगी जो कि अन्य मौजूदा योजनाओं के अधीन पहले से ही अनुमोदित हैं।
19. ब्लाक संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र	➢ प्रत्येक सामुदायिक विकास (सीडी) ब्लाक में सामान्यतः एक बीआरसी होगा। तथापि जिन राज्यों में जहां शैक्षिक ब्लॉकों अथवा परिमण्डलों जैसे उपजिला शैक्षिक प्रशासनिक तंत्रों का अधिकार क्षेत्र, सीडी ब्लॉकों तक सीमित नहीं होता वहां राज्य इस प्रकार की उप–जिला शैक्षिक प्रशासनिक इकाई में एक बीआरसी स्थापित करने पर विचार कर सकता है। तथापि ऐसे मामले में एमसीडी ब्लाक में बीआरसी तथा सीआरसी पर अनावर्ती तथा आवर्ती–दोनों प्रकार का समग्र व्यय प्रत्येक सीडी ब्लॉक के लिए एक बीआरसी खोले जाने की स्थिति में बीआरसी और सीआरसी पर जो समग्र व्यय हुआ होता उससे अधिक नहीं होगा। ➢ बीआरसी/सीआरसी सथासंभव स्कूल परिसर में खोले जाएंगे। ➢ जहां कहीं आवश्यक हो, बीआरसी भवन के निर्माण पर 6 लाख रूपये की अधिकतम सीमा लागू होगी। ➢ जहां कहीं आवश्यक हो सीआरसी के निर्माण के लिए 2 लाख रूपये इसका प्रयोग स्कूलों में एक अतिरिक्त क्लासरूम के रूप में किया जाए। ➢ किसी भी जिले में गैर–स्कूली (बीआरसी तथा सीआरसी) निर्माण कार्य की कुल लागत किसी एक वर्ष में कार्यक्रम के अधीन समग्र प्रक्षेपित व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

	➢ 100 स्कूलों से अधिक वाले ब्लाक में 20 अध्यापकों तक की, छोटे ब्लाकों में बीआरसी और सीआरसी में संयुक्त रूप से 10 अध्यापकों तक की तैनाती। ➢ एक बीआरसी के लिए एक लाख रूपये के और एक सीआरसी के लिए 10,000/– रू0 के फर्नीचर की व्यवस्था। ➢ बीआरसी के लिए 12,500 रू0 तथा सीआरसी के लिए 2,500 रू0 प्रतिवर्ष का आकस्मिक अनुदान। ➢ बैठकें, यात्रा भत्ताः प्रति बीआरसी 500/– रू0 प्रतिमाह, प्रति सीआरसी 200/– रू0 प्रतिमाह। ➢ टीएलएम अनुदानः प्रति बीआरसी 5000/– रू0 प्रतिवर्ष तथा प्रति सीआरसी 1000/– रू0 प्रति वर्ष। ➢ प्रारम्भिक चरण के दौरान ही गहन चयन प्रक्रिया के बाद बीआरसी/सीआरसी कार्मिकों की पहचान।
20. स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपकारी उपाय	➢ शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अधीन पहले से ही अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार निम्न प्रकार के हस्तक्षेपकारी उपायों की व्यवस्थाः • असेवित बस्तियों में शिक्षा आश्वासन केन्द्रों की स्थापना। • वैकल्पिक स्कूली शिक्षा माडलों की स्थापना। • स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में मुख्यधारा में शामिल करने पर बल देते हुए सेतु पाठ्यक्रम, उपचारी पाठ्यक्रम वापिस स्कूल चलो शिविर।
21. सूक्ष्म योजना, परिवार सर्वेक्षण, अध्ययन, सामुदायिक अभिप्रेरण, स्कूल आधारित क्रियाकलाप, कार्यालय उपस्कर, सभी स्तरों पर प्रशिक्षण तथा दिशा–अनुकूलन आदि के लिए प्रारम्भिक क्रियाकलाप	➢ राज्य द्वारा यथाअनुशंसित जिले के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार/जिले अथवा महानगरों के भीतर शहरी क्षेत्रों को आवश्यकता के अनुसार योजना के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में समझा जाए।

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) के वित्तीय मानदण्ड

मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पैरा सं0	हस्तक्षेपणीय उपाय	वित्तीय मानदण्ड	
7(i)	आदर्श संकुल विद्यालय ◆ अतिरिक्त विद्यालय कक्ष ◆ पेयजल की आपूर्ति ◆ विद्युतीकरण शौचालय– यह राशि एस0एस0ए0 के अधीन सिविल निर्माण कार्यों के लिए 33% की सीमा से अलग होगी। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण संकुल मुख्यालय की वी0ई0सी0 / एस0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा। क्लास रूम के डिजाइन की कोटि राज्य एस0एस0ए0 सोसाइटी की कार्यकारी समिति द्वारा मंजूर की जायेगी। आधारिक सुविधाओं के विकास का प्रयोग स्कूलों में योग के लिए, आवासीय सुविधाओं, लड़कियों के टाइलेट, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण और स्तरोन्नत संकुल स्कूलों में बाधामुक्त विशेषताओं के निर्माण के लिए किया जायेगा।	अधिक से अधिक दो लाख रुपये तक का एकबारगी अनुदान।	
7(i)	◆ अध्यापन अधिगम उपकरण ◆ पुस्तकालय ◆ खेलकूद ◆ व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि	30000 / रु0 का एकबारगी अनुदान	
7(ii)क	**आदर्श संकुल स्कूलों को निम्न प्रयोजनों के लिए आवर्ती अनुदान** –उस संकुल में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देनें के लिए विभिन्न क्रियाकलापों जिनमें स्कूलों के रखरखाव तथा अतिरिक्त विशिष्ट विषयों के लिए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शामिल है, सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए किन्तु उसके लिए शर्त यह है कि किसी भी अनुदेशक की सेवाएं किसी एक शैक्षणिक वर्ष में तीन माह से अधिक समय के लिए प्राप्त नहीं की जायेंगी और उसे प्रतिमाह 1000/-रुवये से अधिक का मानदेय नहीं दिया जायेगा।	प्रत्येक संकुल के लिए 2000/-रुपये प्रतिवर्ष	प्रत्येक संकुल के लिए इनमें से एक या एक से अधिक हस्तक्षेपणीय उपाय। प्रत्येक संकुल के लिए 60000/-रु0 की समग्र वार्षिक ऊपरी सीमा के भीतर हाथ में लिए जा सकते है।

7(ii)ख	**स्कूलों/अध्यापकों को पुरस्कार**—नामांकन, स्कूल में बनाये रखने और अधिगम परिणामों में छात्राओं की उपलब्धियों के लिए संकुल स्तर पर प्रतिवर्ष स्कूल/अध्यापक के लिए पुरस्कार दिया जायेगा।	5000/-रु0 (वस्तुओं के रूप में)	
7(ii)ग	**छात्र मूल्यांकन, उपचारात्मक अध्यापन, सेतु पाठ्क्रम, वैकल्पिक स्कूल**— जिन गांवों में स्कूल न जा सकने वाले बच्चे, अनियमित बालिकाओं के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है वहां सेतु पाठ्क्रमों, नमनशील समय, वापिस स्कूल चलो शिविरों, उपचारात्मक अध्यापन आदि सहित लड़कियों के दुष्कर समूहों की सेवा के लिए वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के विशेष माडल शुरू किये जायेंगे। ये उपाय एस0एस0ए0 के अधीन पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अलावा होगें।	प्रत्येक संकुल के लिए प्रतिवर्ष 20000/-रु0 की न्यूनतम राशि	प्रत्येक संकुल के लिए इनमें से एक या एक से अधिक हस्तक्षेपणीय उपाय। प्रत्येक संकुल के लिए 60000/-रु0प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर हाथ में लिए जा सकते हैं।
7(ii)घ	**मुक्त स्कूलों के माध्यम से पढ़ना**— मुक्त स्कूली प्रणाली में भी उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कतिपय विशेष मामलों में नियमित अन्तरालों पर अल्पकालीन आवासीय प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। इस योजना में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल तथा राज्य मुक्त विद्यालयों के अधीन पाठ्यक्रमों में लड़कियों को शिक्षण शुल्क की माफी तथा विशेष रूप से तैयार किए गए मुक्त अध्यापन केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी एन0ओ0एस0, राज्य मुक्त स्कूलों अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करेगी।संकुल स्कूल, आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल/एन0जी0ओ0 केन्द्र का स्थान होगा। यह उन लड़कियों को जिन्होंने किसी कारण नियमित स्कूलों में शिक्षा बीच में छोड़ दी है, शैक्षिक प्रणाली में लाने के कार्य को सुकर बनायेगी अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। जहां तक सम्भव हो सके इस सम्बन्ध में किया जाने वाला भुगतान राज्य सोसाइटियों द्वारा स्थिति अनुसार सीधे ही राष्ट्रीय मुक्त स्कूल या राज्य मुक्त स्कूल को दे दिया जाएगा।	फीस के भुगतान तथा राष्ट्रीय मुक्त स्कूल या राज्य मुक्त स्कूल की सहायता से पूरक अध्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक संकुल प्रतिवर्ष के लिए अधिक से अधिक 50000/-रु0 प्रतिवर्ष की राशि	

7(ii)ड.	**अध्यापक प्रशिक्षण**– अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को लड़के–लड़कियों के प्रति संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण विषयपरक मुद्दों पर सामान्य अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एस0एस0ए0 के अधीन उपलब्ध प्रावधानों के अलावा होगा।	कम से कम 20 अध्यापकों को विशेष रूप से महिला और पुरुष के पक्षों में वार्षिक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक संकुल के लिए अधिक से अधिक 4000/-रु0 प्रतिवर्ष की राशि	
7(ii)च	**बाल परिचर्या केन्द्र**– समेकित बाल विकास योजना के अन्तरालों की पूर्ति करने और लड़कियों को छोटे भाई–बहिनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी से मुक्ति दिलाने के निमित्त इस योजना में अतिरिक्त रूप से प्रारम्भिक बाल परिचर्या केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। जिन क्षेत्रों में महिला और बाल विकास विभाग तथा/अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन कोई बाल परिचर्या केन्द्र नहीं खोला गया है।	एस0एस0ए0 के बालिका शिक्षा घटक के अधीन खोला गया प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष 5000/- का आवर्ती अनुदान और 1000/-रु0 का अनावर्ती अनुदान प्राप्त करेगा।	प्रत्येक संकुल के लिये इनमें से एक या एक से अधिक हस्तक्षेपणीय उपाय प्रत्येक संकुल के लिए 60000/-रु0 प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर हाथ मे लिए जा सकते हैं।
7(iii)	**अतिरिक्त प्रोत्साहन**– एस0एस0ए0 150/-रु0 प्रति बच्चे की सीमा तक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के अधीन बालिकाओं को मौजूदा मानदण्डों के अलावा प्रोत्साहनों का एक पैकेज सुलभ रहेगा। प्रत्येक स्कूल के लिए एक माता/महिला समिति वास्तविक आवश्कताओं के आधार पर, एस0एस0ए0 के अधीन प्रत्येक बालिका के लिए प्रतिवर्ष 150/-रु0 की पहले से निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लेगी। तथापि यदि लड़कियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के बाद कुछ बचत हो जाती है तो इस राशि में से बाकी बची राशि लोखन सामग्री, स्लेटों, कार्यपुस्तिकाओं, वर्दी, दुष्कर क्षेत्रों में मार्गदर्शी प्रदान करने जैसी अतिरिक्त मदों पर खर्च की जा सकती है।	150/-रु0 में से एस0एस0ए0 के अधीन पाठ्य पुस्तकों के निए खर्च की गई राशि घटाएं। यदि एस0एस0ए0 के अधीन कोई राशि खर्च नहीं की जाती तो 150/-रु0 की पूरी राशि सुलभ रहेगी।	
7(iv)	**पोषण और स्कूल स्वास्थ्य**– बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लड़कियों में अधिक		

	कुपोषण और उनके स्वास्थ्य के प्रति परिवार की न्यून प्राथमिकता उनकी अधिगम क्षमता को प्रभावित करती है। स्कूल स्वास्थ्य के अधीन सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जायेगी और जिन लड़कियों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है उनके मामले में अधिक गहन अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी। बालिका के लिए एक आदर्श संकुल स्कूल मंजूर करने के बाद ऐसे स्कूलों की एक सूची जिनमें स्कूल को निकटतम सरकारी अस्पताल अथवा पी0एच0सी0 केन्द्र से अवगत कराया गया होगा, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग को सूचित करते हुए सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जायेगी जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से आदर्श संकुल स्कूलों को आवश्यक सेवाएं सुलभकराने का अनुरोध करेगा।इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के साथ एक सहक्रिया स्थापित की जायेगी। प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित मध्याहन भोजन योजना के लिए भी इसी प्रकार की सहक्रिया स्थापित की जायेगी।		
7(v)	**सामुदायिक अभिप्रेरण**– (नामांकन, बच्चों को शिक्षा में बनाये रखने और अधिगम के लिए अभिप्रेरण) सभी जिला और संकुल (लगभग 10 गांवों का समूह) स्तर के सभी अभिप्रेरणा क्रियाकलाप किए जायेंगे जिनमे ये शामिल हैं, अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण (माता अध्यापक संघ (एम0टी0ए0), महिला प्रेरक समूहों (डब्ल्यू0एम0जी0), महिला समाख्या (एम0एस0) संघ आदि) जैसे संसाधन समूहों की स्थापना और प्रशिक्षण सहित सामुदायिक अभिप्रेरण, संसाधन समूह द्वारा क्रियाकलाप जैसे कि नामांकन, बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना, माता पिता से बातचीत करना आदि, संसाधन समूह का प्रशिक्षण और समीक्षा, नामांकन, उपस्थिति, उपलब्धि की दशा में समुदाय द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही आदि। बालिका शिक्षा की कुंजी सामुदायिक अभिप्रेरण है। एस0एस0ए0 कार्यक्रम में बस्ती/गांव/शहरी गन्दी बस्ती स्तर पर अभिप्रेरण के लिए संकुल स्तर पर एक कोर समूह सहित, जिसमें महिला कामगार, स्वयंसेवक तथा माताएं/माता पिता आदि शामिल होंगे। एक संकुल समन्वयकर्ता गांव से लड़कियों को लाने और साथ ही उनकी उपलब्धि, उपस्थिति, शिक्षा में बने रहना आदि के मानीटरिंग में सहायता प्रदान करेगा। इस घटक के अधीन	प्रत्येक संकुल में प्रशिक्षण, बालिकाओं की नामांकन, उपस्थिति, उपलब्धि आदि के माध्यम से सामुदायिक अभिप्रेरण के लिए एस0एस0ए0 के अधीन पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अलावा पहले वर्ष के लिए 35000/-रु0 की, दूसरे व तीसरे वर्ष के लिए 20000/-रु0 की और	यह राशि प्रबन्ध खर्चे के 6% हिस्से के रूप में होगी और यह राशि ई0बी0बी0 तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए चुने गए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक अभिप्रेरण क्रियाकलापों के लिए किए गए खर्च के कारण बढ़ाई भी जा सकती है।जिले की 6% की ऊपरी सीमा में इसकी जिला योजना के समग्र "बालिका शिक्षा घटक" के 10% से अधिक की राशि की वृद्धि नहीं होगी।

	समुदाय/संसाधन समूहों जिनमें माता अध्यापक संघ आदि शामिल होंगे, का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। संकुल स्तर पर एक समन्वयकर्ता (प्रत्येक 5–25 गावों के लिए एक) होगा जो कि एक अवैतनिक महिला कार्मिक के रूप में काम करेगी। उसे टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान किया जायेगा। यह कोर समूह आयोजना, अभिप्रेरण और क्रियाकलापों के कार्यक्रम पैकेज के कार्यान्वयन के अर्थों में कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करेगा। इसलिए इस समूह का गठन, सदस्यों का चयन, उनका प्रशिक्षण और दिशा अनुकूलन कार्यक्रम में एक प्रमुख इनपुट होगा। उनकी भूमिका कार्यक्रम को सच्चे अर्थों में विकसित होने और स्थानीय परिथितियों तथा सामुदायिक स्वामित्व प्राप्त करने में सहायक होगी।	चौथे तथा पाचवें वर्ष के लिए 10000/- रु0 की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसमे इस आशय की लागतें भी शामिल हैं:– प्रबन्ध सूचना प्रणाली और प्रलेखन, समन्वयकर्ताओं के लिए मानदेय और टी0ए0/डी0ए0 और संकुल स्तर पर संसाधन समूह की बैठकें।	
7(vi)	**कार्यान्वयन, मानीटरिंग और पर्यवेक्षण : राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर क्रियाकलाप**– राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्रियाकलापों में ये क्रियाकलाप भी शामिल हैं। (क) आयोजना (ख) प्रशिक्षण (ग) बैठक, कार्यशालाएं मूल्यांकन और एम0आई0एस0 (घ) अध्यापन अधिगम सामग्री, सी0डी0, फिल्मों तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री सहित सामग्री तैयार करना, फीस और मानदेय (ड.) पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा/विकास, लड़के और लड़कियों के विषयों के समावेशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने में सहायता करना (च) बालिकाओं के लिए जीवन कौशलों सहित पूरक पठन सामग्री का विकास/संकलन जो कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित सहायता करेगा तथा (छ) अर्न्तराज्यीय आदान–प्रदान, प्रलेखन, प्रकाशन, नेटवर्क निर्माण, पुस्तकालय, पत्रिकाएं आदि। प्रशिक्षण माड्यूल, पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय क्रियाकलापों के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एस0एस0ए0 के प्रावधान जारी रहेंगे तथापि एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के कार्यान्वयन एकक द्वारा राज्य स्तर पर लिंग आधरित		

	केन्द्रित सामग्री ऐसे क्रियाकलापों के केन्द्र में रहेगी। इनमें ये शामिल हो सकते हैं– (क) अध्यापन अधिगम सामग्री, सी0डी0, फिल्मों तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, फीस और मानदेय, (ख) पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा/विकास, लैंगिक चिन्ताओं के समावेशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने में सहायता करना, (ग) बालिकाओं के लिए जीवन कौशलों सहित पूरक पठन सामग्री का विकास/संकलन, जो कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित सहायता करेगा, (घ) उपयुक्त पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र को तैयार/संकलित, जिसमें लड़के–लड़कियों के परिप्रेक्ष में मूल्यांकन शामिल है। एम0एस0, लोक जुम्बिश परियोजना और जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना जैसे कार्यक्रमों के अर्न्तगत पहले से तैयार की गई सामग्री, शिक्षा शास्त्र और माड्यूल जैसे कि पाठ्यपुस्तकों की लैंगिक समीक्षा, पूरक लैंगिक संवेदी अध्यापन अधिगम सामग्री के विकास का भी संग्रह और समावेशन किया जायेगा।		
7(vii)	**उपजिला, जिला राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के कार्यान्वयन, मानीटरिंग, और पर्यवेक्षण के लिए निधियां निम्नानुसार उपलब्ध कराई जायेंगी।**	(क) परियोजना लागत के 6% के प्रबन्ध व्यय, जिनमें योजना मूल्यांकन और मानीटरिंग तथा निर्धारण के लिए परामर्श, मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय, पश्चपोषण, कार्यशालाएं और सेमीनार स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, निम्नानुसार हैं। • राष्ट्रीय स्तर पर 1% तक की निधियां आयोजना, मानीटरिंग और समवर्ती मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जायेंगी। • राज्य और जिला स्तर पर 5% तक की निधियां आयोजन, मानीटरिंग के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी। इस कार्यक्रम के लिए निधियां मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 5 में उल्लिखित तंत्र के अनुसार राज्य की एस0एस0ए0 सोसाइटी के माध्यम से भेजी जायेगी। (ख) एस0एस0ए0 के अधीन प्रबन्ध	

		लागत के लिए नियत की गई 6% की ऊपरी सीमा में जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम के अधीन जिले के लिए आवंटित समग्र राशि के 10% तक की वृद्धि की जा सकती है।

8. प्रविधि

8.1 एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के जिला कार्यान्वयन यूनिट द्वारा बालिका शिक्षा घटक के लिए एक अलग उपयोजना तैयार की जायेगी। डी0पी0ई0पी0 की ही तर्ज पर इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सेल में भेजने से पूर्व राज्य स्तर पर संसाधन समूह द्वारा इनकी जांच की जायेगी। राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सेल जहां जरूरी होगा, वहां वाह्य एजेन्सियों/परामर्शदाताओं की सहायता से इन योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। इस प्रयोजन के लिए गठित एक दल प्राप्त हुई योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। एस0एस0ए0 का परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी0ए0बी0) इन उपयोजनाओं को मंजूरी देगा। इन योजनाओं को मंजूरी देते समय पी0ए0बी0 बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त दो विख्यात ब्यक्तियों/एन0जी0ओ0 को आमंत्रित करेगा।

9. एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के अधीन वित्तीय सहायता

9.1 एस0एस0ए0 के प्रांचलों के अनुसार इस घटक के अधीन सहायता केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच दसवीं योजना में 75:25 की भागीदारी और उसके बाद 50:50 की भागीदारी में होगी। लागतों की हिस्सेदारी को लेकर राज्यों की प्रतिबद्धताएं लिखित रूप में प्राप्त की जायेंगी।

9.2 एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के लिए प्रावधान एस0एस0ए0 के अधीन पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अलावा होंगे। एस0एस0ए0 सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम के अधीन क्रियाकलापों की कोई पुनरावृत्ति न हो।

9.3 भारत सरकार सीधे एस0एस0ए0 राज्य सोसाइटी को निधियां प्रदान करेगी। राज्य सरकार भी राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को अपना हिस्सा देगी। इसके बाद जहां कहीं लागू होगा वहां महिला समाख्या को निधियां प्रदान की जायेंगी। जिन राज्यों में महिला समाख्या काम नहीं कर रही है, इस योजना का कार्यान्वयन एस0एस0ए0 सोसाइटी के जेन्डर यूनिट नामक एक उपयूनिट के माध्यम से किया जायेगा, और एस0एस0ए0 द्वारा अपनाये जा रहे मौजूदा तंत्र का प्रयोग किया जायेगा।

9.4 राज्य सोसाइटी एन0पी0ई0जी0ई0एल0 की निधियों के लिए अलग बचत बैंक खाता खोलेगी। राज्य एस0एस0ए0 सोसाइटी को बराबर का हिस्सा भी प्रदान करना चाहिए। तदनुसार जिला और उपजिला ढ़ांचों पर अलग–अलग खाते रखे जाने होंगे।

***नोटः**–मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दि0 2.9.2003 के पत्र सं0 25.1/203 ईई 8 के अधीन जारी किए गए एनपीईजीईएल मार्गदर्शन सिद्धान्तों से उद्धृत।*

वार्षिक कार्यक्रम कैलेण्डर

क्र0सं0	माह	महत्वपूर्ण कार्य
1.	अप्रैल	▪ भारत सरकार के वर्ष की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के लिए केन्द्रांश की प्रथम किस्त व अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की प्रथम किस्त अवमुक्त करवाना। ▪ जनपदों को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की प्रथम किस्त अवमुक्त करना। ▪ जनपदवार व कार्यक्रमवार वर्षभर की कार्यनीति हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कलैण्डर तैयार करवाना। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करना। ▪ विभिन्न क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित करना। ▪ जनपद मेंटर्स द्वारा जनपद भ्रमण। ▪ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण सुनिश्चित करना। ▪ नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य परियोजना के पद सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव।
2.	मई	▪ नवीन विद्यालयों, ई0जी0एस0 केन्द्र, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को प्रारम्भ कराना। ▪ बाल गणना एवं बच्चों का चिह्नीकरण प्रारम्भ करना। ▪ समस्त निर्माण कार्यों के लिए प्रथम किस्त जारी करना व निर्माण प्रारम्भ करना। ▪ नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान प्रारम्भ करना। ▪ समस्त निर्माण कार्यों के लिए प्रथम किस्त जारी करना व निर्माण प्रारम्भ करना। ▪ नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान प्रारम्भ करवाना। ▪ वी0ई0सी0 / एस0एम0सी0 का गठन। ▪ नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य परियोजना के पद सृजन की राजाज्ञा निर्गत करवाना।
3.	जून	▪ शिक्षक प्रशिक्षण प्रारम्भ करवाना। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु पत्रावली प्रस्तुत करना। ▪ पिछले वर्ष की परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर जुलाई माह से उपचारात्मक शिक्षण हेतु

		बच्चों का चिह्नांकन की समीक्षा करना। ▪ ब्रिजकोर्स के आयोजन के लिए प्रारम्भिक शिविर का आयोजन। ▪ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की समीक्षा। ▪ ज्वांइट रिव्यू मिशन के भ्रमण की तैयारी व जे0आर0एम0 भ्रमण।
4.	जुलाई	▪ केन्द्रांश की द्वितीय किस्त हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित करना। ▪ विद्यालय स्तर पर सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करना। ▪ ड्राप आउट बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स आयोजित करना। ▪ विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना। ▪ वैधानिक लेखा परीक्षण प्रारम्भ कराना। ▪ वी0ई0सी0 / एस0एम0सी0 प्रशिक्षण। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन।
5.	अगस्त	▪ प्रथम कोटिकरण हेतु समीक्षा बैठक व तैयारी। ▪ शौचालय, पेयजल व चाहरदीवारी जैसे छोटे निर्माण कार्य पूर्ण करवाना व भवन निर्माण का कार्य एक तिहाई पूर्ण होना। ▪ जनपदों को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की द्वितीय किस्त अवमुक्त करवाना। ▪ जनपदों द्वारा निर्माण कार्य की द्वितीय किस्त वी0ई0सी0 को अवमुक्त करवाना। ▪ वित्त समिति तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही करना।
6.	सितम्बर	▪ प्रथम कोटिकरण पूर्ण करना। ▪ ई0एम0आई0एस0 व डायस प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना। ▪ वैधानिक लेखा परीक्षण पूर्ण करना। ▪ भारत सरकार व राज्य सरकार से वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की द्वितीय किस्त अवमुक्त करवाना। ▪ संकुल से राज्य स्तर की समस्त रिक्तियों पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना। ▪ संकुल स्तर पर आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का प्रथम ड्राफ्ट तैयार

		करना। ▪ वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित सभी शोध कार्यों को प्रारम्भ करवाना। ▪ राज्य सरकार को आगामी वर्ष का अनुमानित आय व्ययक प्रस्तुत करना। (राज्यांश हेतु)
7.	अक्टूबर	▪ प्रथम कोटिकरण के परिणामों का विश्लेषण व उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ। ▪ 30 सितम्बर के आधार पर डायस डाटा प्रपत्र को भरना व सी0आर0सी0 स्तर पर विश्लेषण। ▪ जनपदों को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की तृतीय किस्त अवमुक्त करना। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु पत्रावली प्रस्तुत करना। ▪ वैधानिक लेखा परीक्षण की अनुसंशाओं पर कार्यवाही। ▪ वार्षिक आख्या तैयार करना। ▪ द्वितीय कोटिकरण हेतु तैयारी। ▪ साधारण सभा की बैठक आयोजित करना।
8.	नवम्बर	▪ आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का प्रथम ड्राफ्ट जनपद स्तर पर तैयार करना। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करना। ▪ वैधानिक लेखा परीक्षण व वार्षिक आख्या का वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन करवाना व भारत सरकार को प्रेषित करना। ▪ डायस डाटा का वाह्य संस्था तथा परियोजना अभिकर्मियों द्वारा जाँच। ▪ द्वितीय कोटिकरण पूर्ण करना। ▪ शिक्षा मेला आयोजित करना। ▪ साधारण सभा की बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही।
9.	दिसम्बर	▪ वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रथम ड्राफ्ट का राज्य स्तर पर अप्रेजल एवं संशोधन हेतु जनपदों को प्रेषण। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही। ▪ डायस डाटा संकलन के पश्चात नीपा व एडसिल, भारत सरकार को प्रेषित करना।

		▪ ज्वांइट रिव्यू मिशन के भ्रमण की तैयारी व जे0आर0एम0 भ्रमण। ▪ शोध कार्यों को पूर्ण करना व रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय में प्राप्त करना। ▪ द्वितीय कोटिकरण की समीक्षा। ▪ जनपदों से मदवार स्वीकृत, उपभोग व शेष धनराशि की समीक्षा कर आगामी 03 माहों में इसे व्यय करने की रणनीति बनाना।
10.	जनवरी	▪ राज्य परियोजना कार्यालय को स्टेट प्लान तैयार करना व जनपदों से अंतिम संशोधित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रदान करना। ▪ शोध व सर्वेक्षण के परिणामों का शिक्षक संदर्भ समूह सदस्यों, सहयोगी संस्थायें तथा परियेाजना अभिकर्मियों के साथ शेयरिंग। ▪ भारत सरकार व राज्य सरकार से केन्द्रांश व राज्यांश की अंतिम किस्त प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषण। ▪ समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करवाना। ▪ द्वितीय कोटिकरण के परिणामों व शोध सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ करवाना। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु पत्रावली प्रस्तुत करना। ▪ आंतरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट वित्त समिति व कार्यकारिणी हेतु प्रस्तुत करना। ▪ सहयोगी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा।
11	फरवरी	▪ आगामी वर्ष के ऐसे कार्यक्रमों जिन्हें निरन्तर रखा जाना हो, अथवा जिनमें क्रय सम्मिलित हो, के लिए टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ कर यथा– गाड़ी, भोजन, आवास, स्टेशनरी, मुद्रण, वैधानिक लेखा परीक्षण आदि। ▪ वित्त समिति व कार्यकारिणी समिति की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का अनुमोदन एवं भारत सरकार को प्रेषित करना। ▪ जनपदों से प्रथम किस्तों का उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करना व अवमुक्त धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय सुनिश्चित करवाना। ▪ जनपदों से कार्यक्रमवार स्वीकृत, व्यय व अवशेष धनराशि को आगामी माह में शत–प्रतिशत उपभोग हेतु रणनीति तथा विभिन्न मदों में धनराशि का पुनर्विनियोग करना। ▪ साधारण सभा की बैठक हेतु पत्रावली प्रेषण।

		▪ वार्षिक परीक्षा तैयारी। ▪ तृतीय कोटिकरण की तैयारी करवाना। ▪ भारत सरकार व राज्य सरकार से वर्तमान वर्ष की अंतिम किस्त प्राप्त करना तथा उसे जनपदों को अवमुक्त करना।
12	मार्च	▪ आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का अप्रेजल भारत सरकार से करवाना प्रथम किस्त हेतु माँग भारत सरकार को माँग प्रस्तुत करना। ▪ तृतीय कोटिकरण सुनिश्चित करना। ▪ सहयोगी संस्थाओं के कार्यक्रमों को आगामी वर्ष के लिए जारी रखने पर निर्णय लेने व उन्हें सूचित करना।